अध्याय-3 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति तालिका का नाम निर्देशन.

अध्यक्ष का निर्वाचन.

7. (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा.

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जावे सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा.

(3) कार्य सूची में जिस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा.

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे. यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है.

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

8. (1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो अध्यक्ष निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा.

(2) नियम 7 के उपनियम (2) से (4) तक के उपबन्ध संबंधी निर्देशों के स्थान में उपाध्यक्ष संबंधी निदेश प्रतिस्थापित करने पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अध्यक्ष के निर्वाचन को लागू हैं.

सभापति तालिका.

9. (1) यथास्थिति प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ पर या समय-समय पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक छह सभापतियों की एक तालिका नाम निर्देशित करेगा, जिनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन हो सकेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम निर्देशित सभापति तालिका के सदस्य नई सभापति तालिका नाम निर्देशित की जाने तक पद धारण करेंगे.

उपाध्यक्ष या सभा की बैठक में पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां.

10. उपाध्यक्ष को या संविधान अथवा इन नियमों के अधीन सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम किसी अन्य सदस्य को, जब वह इस प्रकार पीठासीन हो, वही शक्ति होगी जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है और इन परिस्थितियों में इन नियमों में अध्यक्ष के प्रति सब निर्देश इस प्रकार पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे.